

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंधित विषय के प्रभारी पदाधिकारी अपने पटल से संबंधित विषय के लिए आवेदक को सूचना देने के लिए लोक सूचना पदाधिकारी नामित किए जाते हैं।

2. संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी अपने प्रशाखा/विषय से संबंधित सूचना आवेदक को अपने स्तर से सीधे उपलब्ध कराएंगे एवं इसकी प्रति विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी को देंगे।
3. पूर्व निर्गत आदेश सं0 680 दिनांक 05.03.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
3. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—

सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि.प्रा.(1)विविध-26/2013

/पटना, दिनांक--

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक, विपार्ड, वाल्मी, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

ह०/—

सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि.प्रा.(1)विविध-26/2013

2347

/पटना, दिनांक- 24.9.2015

प्रतिलिपि - श्रीमती सीमा सिन्हा, सहायक निदेशक (प्र.)-सह-लोक सूचना पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी/सभी सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

2. आई. टी. मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

सुजा  
23/9/15

23/9/15

सरकार के अपर सचिव,  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
बिहार, पटना।